न्यायालय जिला कलेक्टर, पाली

पीठासीन अधिकारी:: श्री अंश दीप, आई.ए.एस

पंचायत निगरानी :: 51/2019 ::

जीसीएमएस नम्बर :: 2019/00220

प्रार्थी :–	बनाम	अप्रार्थीगण :–
रामपाल पुत्र श्री अमराराम कुमावत निवासी निमाज जिला पाली हाल निवासी पडासला खुर्द तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर		1. मदनलाल पत्रु श्री लखाराम जाति कुमावत 2. चन्द्रा पुत्र श्री हापुजी जाति कुमावत निवासीगण अप्रार्थी संख्या 1 व 2 निमाज तहसील जैतारण जिला पाली। 3. सरपंच ग्राम पंचायत निमाज पंचायत समिति जैतारण जिला पाली।

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम, 1994

उपस्थित :– प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री श्याम जी पंचारिया
अप्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री मोहम्मद शरीफ काजी

–:: नि र्ण य ::–

दिनांक :– 21-9-21

अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के बाबत निरस्त करने पट्टा संख्या 5/70 जो मिसल संख्या 10/74–75 प्रस्ताव व आदेश दिनांक 05.1.1975 की पालना में जारी किया उसे निरस्त कराने हेतु पेश की गई है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को तलब किया गया। ग्राम पंचायत का रेकर्ड तलब किया जाकर बहस उभयपक्ष सुनी गई।

अधिवक्ता प्रार्थी ने वक्त बहस कथन किया कि यह निगरानी पूर्व में अतिरिक्त जिला कलक्टर महोदय के न्यायालय में पंचायत निगरानी संख्या 103/2012 बअनवान अमराराम बनाम रामपाल विचाराधीन थी। जो दिनांक 03.05.2016 को रेकर्ड के अभाव में खारिज कर दी गई। तथा उसके पुर्नरावलोकन बाबत प्रार्थना पत्र पुनः पेश किए गए जो म्याद अवधी में नहीं होने से खारिज किए गए। फिर प्रार्थी रामपाल द्वारा तिसरी बार रेकर्ड की प्रमाणित प्रतियां सिविल न्यायाधीश जैतारण एवं ग्राम पंचायत से प्राप्त कर प्रस्तुत करते हुए पुर्नविलोकन प्रार्थना पत्र अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली के समक्ष पेश किया गया जिसे रेकर्ड परीक्षित नहीं होने से निरस्त पंचायत निगरानी बाबत प्रस्तुत पुर्नविलोकन याचिका स्वीकार कर गुणावगुण पर निर्णय हेतु पुनः नम्बर पर लिया जाने हेतु निवेदन किया तथा साथ ही प्रश्नतगत रिव्यू प्रकरण में म्याद का बिन्दु भी विचार करने योग्य नहीं है क्योंकि निगरानी रेकर्ड के अभाव में बिना परिक्षण के खारिज की गई थी तथा बाद में रेकर्ड पंचायत में मिलने पर पुनः पेश की गई। जो बाद रिव्यू इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार में होने से अग्रिम सुनवाई हेतु इस न्यायालय में स्थानान्तरित किया गया। जो इस न्यायालय में 24.7.2019 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेकर्ड मंगवाया जाकर गुणावगुण पर निर्णय हेतु नियत रखी गई है। अधिवक्ता प्रार्थी ने निवेदन किया कि जैर निगरानी आराजी का पट्टा ग्राम पंचायत निमाज द्वारा प्रार्थी के पिता के हक में वर्ष 1964-65 में दिनांक 19.12.64 को पट्टा संख्या 22 जरिये निलामी रूपये [illegible] जारी किया गया था। तथा उक्त मकान के पड़ोस में [illegible] कुमावत निवासी निमाज को भी ग्राम पंचायत निमाज द्वारा 195[illegible] में पट्टा जारी किया गया था उक्त मकान बिजाराम पुत्र दुर्गाराम द्वारा 5 रूपये स्टाम्प पर [illegible] के पिता अमराराम जी के हक में बेचाण कर दिया था उक्त दोनों आराजियात का पट्टा अप्रार्थी संख्या 1 व 2 ने सरपंच ग्राम पंचायत निमाज से मिलावट

क्रमश....................2

Ansh

जिला कलेक्टर, पाली

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2022.01.30 09:24:00 IST
Reason: SelfAttested

कर पट्टा संख्या 5/70 दिनांक 4.1.1975 को मूल पट्टे पर अंकित मिसल संख्या 10/74–75 कायम कर प्रस्ताव संख्या व आदेश (निल) दिनांक 12.12.75 को पट्टा जारी कर दिया जो विधिसम्मत नहीं होने से खारिज योग्य है।

मूल पट्टा बुक में विद्यमान पट्टे के अवलोकन से स्पष्ट है कि पट्टे पर खरीदार सरपंच अथवा ग्राम सेवक साक्षी वगैरा किसी के भी हस्ताक्षर नहीं है। एवं प्रति पर सरपंच व खरीददार तथा साक्षी के हस्ताक्षर नहीं होने बाबत अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका निमाज (पाली) का नोट भी अंकित है इस प्रकार से बिना हस्तान्तरण मोहर के जारी पट्टा विधिविरूद्ध, शुन्यवृत एवं खारिज योग्य है। पट्टा सम्बन्धी प्रस्ताव रजिस्टर ग्राम पंचायत निमाज में नहीं है। इससे भी पट्टा बाबत प्रस्ताव लिया जाना सिद्ध नहीं होता है। इस वजह से भी पट्टा खारिज योग्य है। प्रार्थी का पट्टा संख्या 22/19.12.1964 एवं बीजराम से क्रय सुदा प्लॉट को मिला कर एक पट्टा बनाया गया है। जो निरस्त योग्य है। पट्टा फर्जी तरीके से राजस्थान पंचायत राज नियम 1961 की पालना नहीं की गई है। प्रार्थी के पिता के नाम जारी पट्टे में बीजाराम पुत्र दुर्गाराम के नाम जारी पट्टे में सरपंच चौथाराम के हस्ताक्षर है। जबकि अप्रार्थी मदनलाल के नाम जारी पट्टे के पृष्ठ भाग पर किसी के भी हस्ताक्षर नहीं है। इससे जैर निगरानी पट्टा स्पष्टतया खारिज योग्य है। अप्रार्थी मदनलाल ने अमराराम से क्रय कर पट्टा बनाना बताया है जबकि अमराराम द्वारा किए गए बेचाण की प्रति पेश नहीं की गई है। एवं सतर्कता समिति की रिपोर्ट में पट्टे के फर्जी बताया है तथा पट्टे के फर्जी एवं विधी व तथ्यों को नजर अन्दाज कर गैर कानूनी पारित किया गया है पट्टे में किए गए फर्जीवाडे के सम्बन्ध में एफआईआर संख्या 52/2017 मदनलाल के विरूद्ध थाना जैतारण में दर्ज कराई थी जिसमें बाद अनुसंधान अप्रार्थी के विरूद्ध चालान पेश किया गया जिसका प्रकरण सिविल न्यायाधीश एव अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट महोदय जैतारण में विचाराधीन है। पत्रावली की प्रस्तुत प्रमाणित प्रतियां वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जैतारण द्वारा प्रदत है दर्ज नोट अनुसार '' पत्रावली ढूंढने पर मिली जिसमें कुल 9 पेज है तथा इसमें सरपंच की सील पर कही भी हस्ताक्षर नहीं है। अतः दस्तावेज मान्य प्रतित नहीं होता है। अतः दस्तावेज मान्य प्रतित नहीं होता है।'' अमराराम का पट्टा संख्या 22 एवं बीजाराम के पट्टे पूर्व में सन् 1964 में बने हुए है। अप्रार्थी के पट्टे की तीन फोटो प्रतियां पेश की गई उनमें दो में मदनलाल पुत्र लखाराम के नाम पट्टा जारी है तथा दूसरा नाम चन्द्रा पुत्र हापूराम है जबकि एक फोटो प्रति में मदनलल पुत्र लखाराम ही दर्ज है। तथा ग्राम पंचायत की मिसल की जो भी प्रमाणित प्रति वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जैतारण से प्राप्त कर पेश की गई उसमें पट्टा सम्बन्धी कार्यवाही में एक ही नाम मदनलाल पुत्र लखाराम का उल्लेख है इससे स्पष्ट है कि चन्द्राराम पुत्र हापूराम का नाम बाद में जोड़ा गया है तथा मदनलाल द्वारा ग्राम पंचायत में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र जो पट्टा बनाने हेतु पेश किया गया उसमें अमराराम व बीजाराम में खरीदसुदा भूमी का पट्टा बनाने हेतु उल्लेख किया गया था तथा अमराराम व बींजाराम को पट्टा 1964 में ही ग्राम पंचायत निमाज द्वारा पट्टा जारी कर दिया था जिनका [illegible] तथ्य विश्वसनीय भी नहीं है उक्त सभी कारणो से जैर निगरा[illegible] निरस्त योग्य है।

वकील अप्रा[illegible] पूर्व में अमराराम द्वारा निगरानी पेश की [illegible] चूकी है तथा बाद में रामपाल द्वारा अमराराम के जिवीत रहते पुनः निग[illegible] व रिव्यू प्रार्थना पत्र व निगरानी पेश करने का अधिकार प्रार्थी को नहीं था प्रार्थी की लोकल स्टेण्डाई नहीं है

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2022.01.30 09:24:00 IST
Reason: SelfAttested

क्रमश.....................3

न्यायालय जिला कलेक्टर पाली (राजस्थान)

Ansh
जिला कलेक्टर, पाली

प्रार्थना पत्र निरस्त योग्य है। क्योंकि रामपाल उसके पिता के जिवित रहते पिडित पक्षकार नहीं है। अमंराराम द्वारा वरिष्ठ सिविल न्यायालय जैतारण में एक वाद संख्या 16/1994 व वाद संख्या 148/2001 मदनलाल के विरूद्ध पेश किया जो पट्टा मनसुखी कब्जा प्राप्त करने जमीन तथा मेन्डेटरी एवं प्रोहीबिटरी का पेश किया जो 21.1.2016 को निरस्त हो गया है। प्रार्थी का पट्टा अस्तित्व में रहते तनकी संख्या 1, 2 व अन्य तनकियात भी अमराराम के विरूद्ध निर्णित की गई। तथा निर्णय के पैरा 20 में अमराराम का हक हकूक व कब्जा होना नहीं माना है। एवं वाद खारिज किया गया है। अमराराम द्वारा प्रस्तुत निगरानी 52/2017 एवं रामपाल द्वारा प्रस्तुत निगरानी संख्या 103/2012 दोनों क्रमशः दिनांक 18.1.2018 व 3.5.2016 को खारिज कर दी गई तथा 52/2017 को रिव्यू करने बाबत प्रार्थना पत्र 5/2018 पेश किया गया वह भी 24.7.2018 को खारिज कर दिया गया। तो अमराराम की ओर से रामपाल द्वारा निगरानी पेश की गई जब अमराराम की निगरानी एवं रिव्यू प्रार्थना पत्र खारिज हो चूके थे अमराराम द्वारा आगे कार्यवाही नहीं की गई एवं निगरानी 103/2012 की ट्रायल शुरू की इस प्रकार अमराराम की निगरानी खारिज हो जाने के बाद रामपाल की निगरानी चलने योग्य नहीं है प्रार्थी के पट्टे को 37 वर्ष बाद चुनौती दी गई तथा इस देरी का संतोषजनक कारण नहीं है। जबकि इस बाबत वाद संख्या 16/84 विचाराधीन था एसी स्थिति में निगरानी गैर म्याद अर्थात म्याद बाहर होने से चलने योग्य नहीं है काबिल खारिज है। वकील अप्रार्थी द्वारा अपने म्याद के बिन्दु पर दिए गए तर्क की ताईद मं एक न्यायिक दृष्टांत डीएनजे (2012) 2 राज. भी पेश किया।

बहस सुनी गई। पत्रावली एवं ग्राम पंचायत से प्राप्त रेकर्ड का अवलोकन किया गया। तथा वकील अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत का भी सम्मान अवलोकन किया गया। इस निगरानी में विचारणीय बिन्दु 3 है :–

1. क्या रामपाल (अमराराम का पुत्र) उक्त निगरानी विचारार्थ न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है?
2. क्या पट्टे पर पट्टा जारी किया गया है ?
3. क्या पट्टा प्रक्रिया का पालन करते हुए नियमानुसार जारी किया गया है ?

राजस्थान पचायती राज अधिनियम की धारा 97 के तहत कोई भी हितबद्ध पक्षकार अथवा अन्य व्यक्ति निगरानी पेश कर सकता है यहां तक कि न्यायालय Suo moto भी प्रसंज्ञान लेकर निगरानी की सत्यता, शुद्धता, एवं नियमितता बाबत परीक्षण कर सकता है तथा उसमें न्यायोचित निर्णय पारित कर सकता है इस प्रकार रामपाल को निगरानी प्रस्तुत नहीं कर सकने जैसा नियम नहीं है। एवं रामपाल को पंचायत निगरानी प्रस्तुत कर सकता है।

अप्रार्थी व अप्रार्थीगण के हक में जारी पट्टो का नाप पृथक–पृथक है तथा पड़ोस भी पृथक–पृथक होने से पट्टे पर पट्टा जारी होना भी सिद्ध नहीं है। लेकिन मदनलाल की जिस पत्रावली की प्रमाणित प्रति पेश की गई उसमें भूमी अमराराम व बीजाराम से क्रय करना अंकित किया है। जबकि उनके अधिवक्ता ने नगरपालिका निमाज द्वारा नाला बनाया जाना अपने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 सीपीसी के प्रस्तुत किया उसमें उल्लेखित है । दोनों ही तथ्यों में [illegible] तथ्यों के संबंधित साक्ष्य नहीं है। जब अमराराम व बीजाराम का [illegible] में बना हुआ है तथा अमराराम एवं बींजाराम से भूमी [illegible] पट्टा बनाने के प्रार्थना पत्र में की गई तो दू[illegible] आवश्यकता ही नहीं थी पट्टासुदा क्रयसुदा भूमी पर दुबारा पट्टा बन[illegible] विधीसम्मत नहीं होने से जैर निगरानी पट्टा निरस्त योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2022.01.30 09:24:00 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलेक्टर पाली (राजस्थान)

जिला कलेक्टर, पाली

क्रमश....................4

तथा ग्राम पंचायत की मिसल जो प्रमाणित प्रति वरिष्ठ सिविल न्यायालय जैतारण के प्रकरण संख्या 6 / 2016 से प्राप्त कर पेश की गई उसमें सरपचं के कही हस्ताक्षर नहीं है, प्रंथम पृष्ठ पर ही सरपंच की सील पर हस्ताक्षर नहीं होना अंकित है तथा दस्तावेज को मान्य नहीं माना है न ही तीन वार्ड पंचों की निरीक्षण रिपोर्ट पर वार्ड पंचों के हस्ताक्षर है। न ही आपति इश्तिहार पर किसी के हस्ताक्षर है तथा उसे किस सार्वजनिक स्थान पर किन दो प्रतिष्ठित व्यक्तियों की उपस्थिति में चस्पा किया गया इसके भी कोई साक्ष्य सबूत नहीं है। मिसल में कही भी सरपंच के हस्ताक्षर नहीं होना एक बहुत बड़ी प्रक्रियात्मक त्रुटि है जिसे नजरअन्दाज नहीं किया जा सकता है तथा पट्टे के अवलोकन से उसके पृष्ठ भाग पर भी सरपंच, गवाह व ग्राम सेवक के हस्ताक्षर नहीं है एवं नगरपालिका के अधिशाषी अधिकारी जब नगरपालिका निमाज अस्तित्व में थी उनका नोट अंकित है। अतः उक्त तथ्यों के आधार पर जैर निगरानी पट्टा जारी करते समय प्रक्रिया का पालना नहीं किया जाना सिद्ध है जिससे भी पट्टा निरस्त योग्य है।

परिणामस्वरूप उपरोक्त तथ्यों के बाद विवेचन प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाती है एवं अप्रार्थी मदनलाल के हक में ग्राम पंचायत निमाज द्वारा प्रस्ताव व आदेश दिनांक 5.1.1975 तथाकथित मिसल संख्या 10 / 74–75 में पारित आदेशों की पालना में जारी विक्रय विलेख संख्या 5 / 70 दिनांक 5.1.1975 सभी को निरस्त किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 21-9-21 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर शामिल मिसल किया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर पाली (राजस्थान)

(अंश दीप)
जिला कलक्टर, पाली
जिला कलक्टर, पाली

Signature Not Verified

Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2022.01.30 09:24:00 IST
Reason: SelfAttested